(219)

आयोजनगत

संख्याः 1881 /XI / 2011 - 56(97)2010

प्रेषक,

**विनोद फोनिया,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**आयुक्त,**
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौडी।

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांक 16 **दिसम्बर, 2011**

विषयः–**राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–284/5–लेखा–78/परि0प्र0इ0/प्रस्ताव/2011–12 दिनांक 04.08.2011 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या–209/XXXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं शासनादेश संख्या–210/XXXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय योजनाओं की संरचना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा प्रभावी संचालन एवं कियान्वयन हेतु परियोजना प्रबन्धन इकाई में तैनात कार्मिकों के मानदेय व प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल रु0 20.00 लाख (रु0 बीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि की मदवार फांट आयुक्त, ग्राम्य विकास पौडी अविलम्ब कर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखा जाना सुनिश्चित करेगें।
2. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाए। अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक आहरण के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें।
3. प्रश्नगत धनराशि को अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विभागीय योजनाओं के सफल संचालन एवं कियान्वयन हेतु विभाग की परियोजना प्रबन्धन इकाई के लिए सृजित पदों के सापेक्ष ही निर्धारित प्रकिया के अनुसार रिक्त पदों पर

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति एंव सीधी भर्ती के माध्यम से जैसी भी स्थिति हो भरे जाने की कार्यवाही के दृष्टिगत तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिए अस्थायी रुप से उपसुल/सेवा प्रदान संस्थाओं व संविदा की निर्धारित प्रकिया के अनुसार अर्ह कार्मिकों को नियमानुकूल नियोजित किया गया हो, और निर्धारित प्रारुप पर अनुबन्ध किया गया हो, को वेतन/मानदेय अनुमन्य होगा।

4. प्रश्नगत मानक मदों के अन्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रुल्स 2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
5. किसी भी लेखाशीर्षक/मद में बजट प्राविधान के अर्न्तगत स्वीकृति की जा रही धनराशि की सीमा में ही व्यय किया जाय। बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में व्यय न किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित न किया जाए।
6. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाए, उनमें स्पष्ट रुप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का उल्लेख भी किया जाए।?
7. बिना वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
8. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्वतन पर रखी गयी धनराशि प्रत्येक माह विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्ट्रार रखा जाए और प्रत्येक माह की स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए तत्तसम्बन्धी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायी जाए।
10. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।
11. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।
12. निर्वतन पर रखी गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31.3.2012 तक करते हुए अप्रयुक्त अवशेष धनराशि समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।
13. मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–19 के अधीन लेखा शीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास–आयोजनागत–22 परियोजना प्रबन्धन इकाई–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

पत्रांक 1881 /(1)/XI/2011 56(97)2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस,सी–1/105, इन्दिरा नगर देहरादून।
2. महालेखाकार (ए एण्ड ई) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
4. जिलाधिकारी, पौडी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौडी।
6. मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, पौडी।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–4/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. परियोजना समन्वयक, परियोजना प्रबन्धन इकाई, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
अपर सचिव।